

फर्द अहकाम

प्रकरण सं०

श्री..... बनाम श्री.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी
28/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वकील वादी/प्रार्थी को विधिवत रूप से तीन बार रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई परंतु वकील वादी एवं वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व में भी उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरांत भी वकील वादी/प्रार्थी एवं वादी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः वकील वादी/प्रार्थी एवं वादी/प्रार्थी कि ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। मीठासीन आधिकारी प्रवक्ता में है। हमीरगढ़ (राज) आदेश से रीखर</p>	